हरिद्वार तक होगा गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार, उप्र मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान

लखनऊ, 25 अगस्त (भाषा)।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रयागराज और हरिद्वार के बीच तेज एवं नियंत्रित एक्सप्रेसवे संपर्क विकसित करने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार देने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे छह लेन का होगा, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। परियोजना पर करीब 10,761 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अधिकारियों के मुताबिक, परियोजना में केंद्र सरकार की किसी तरह की वित्तीय भागीदारी अपेक्षित या प्रस्तावित नहीं है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने समेत आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, उत्तराखंड सीमा से लगे बिजनौर जिले से हरिद्वार जाने के लिए फिलहाल प्रमुख रूप से मेरठ-बिजनौर-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध है। बयान में बताया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक विस्तार से बिजनौर से हरिद्वार तक आवागमन बेहतर एवं तेज होगा। बयान के मुताबिक, प्रस्ताव के तहत प्रयागराज-हरिद्वार के बीच एक्सप्रेसवे गलियारा विकसित किया जाएगा। बयान में बताया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार तक पहुंचने से प्रयागराज और हरिद्वार के बीच प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे नेटवर्क के जरिए तेज एवं सुगम यातायात सुविधा विकसित होगी। अधिकारियों ने बताया कि इससे धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए दोनों धार्मिक नगरियों के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है।

60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की सभी बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 'लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना' को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी बसों में जीवनभर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सिंह ने कहा कि इस फैसले से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाकर रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।